न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 148/2020
बिहार सरकार द्वारा अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा बनाम सुरेश प्रसाद

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
22/01/2021	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद वाद अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा के पत्रांक–636/म0नि0, दिनांक–17.06.2020 एवं संशोधित पत्र संख्या–805/म0नि0 दिनांक 29.07.2020 से प्राप्त उत्पाद वाद कांड सं0–478/20 (दरभंगा व्यवहार न्यायालय) में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन हीरो ग्लैमर मोटरसाईकिल **Chassis No. MBLJA06APFGE03771** रजि0 नं0– **BR32M-7485** को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी सुरेश प्रसाद, पिता– स्व0 मैनी राउत, साकिन– बसुआनी, पो0– भटसीमर, थाना– राजनगर, जिला– मधुबनी को कारण पृच्छा हेतु दिनांक 11.09.2020 को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये और न ही भेजा गया नोटिस वापस प्राप्त हुआ। न्यायहित में एक पक्षीय सुनवाई की गई। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के गश्ती के क्रम में बलनी रोड़ के पास, बहेड़ा में देखा गया कि एक हीरो ग्लैमर मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नं0– **BR07AD-9038** खड़ी है। संदेहास्पद स्थिति में दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् तलाशी लेने पर उक्त वाहन के सीट के पिछले हिस्से से बंधा हुआ एक प्लास्टिक के बोरा से इवनिंग मोमेंट कम्पनी का 750 एम0एल0 का 22 बोतल विदेशी शराब कुल 16.500 लीटर शराब बरामद हुआ। जिसे विधिवत जब्त किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा से पत्राचार कर उक्त वाहन के स्वामी का नाम/पता प्राप्त किया गया, परन्तु जब्त वाहन और प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित चेसिस नं0 में भिन्नता पायी गई जिससे स्पष्ट हुआ है कि वाहन संख्या में हेर–फेर किया गया है। तत्पश्चात जब्त वाहन के चेसिस नं0 के आधार पर वाहन स्वामी का नाम/पता तथा वाहन संख्या प्राप्त किया गया जिसका रजि0 नं0– **BR32M-7485** पाया गया। चुँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन हीरो ग्लैमर मोटरसाईकिल रजि0 नं0– **BR32M-7485** पर बोरा में बांध कर ले जाने के क्रम में अवैध शराब कुल–16.500 लीटर बरामद हुआ, जिसे उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु दिनांक 11.09.2020	

को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वे इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये और न ही भेजा गया नोटिस वापस प्राप्त हुआ। जिससे स्पष्ट होता है कि उन्हे इस संबंध में कुछ नही कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में उत्पाद वाद कांड सं0–478/20 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन वाहन हीरो ग्लैमर मोटरसाईकिल **Chassis No. MBLJA06APFGE03771** रजि0 नं0– **BR32M-7485** को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्य निषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा